

कार्यालय :— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा, म0प्र0

पीडासीन अधिकारी – (रूप सिंह कनेल)

मैं रूप सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा(म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा (14) व (15) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत रीवा जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक प्रकरणों के उचित व सुचारू रूप से कार्य संपादन हेतु निम्न आदेश प्रसारित करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के अनुमोदन उपरांत दिनांक 23-अप्रैल-2024 से प्रभावशील होगा।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
01	रूप सिंह कनेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा	चोरहटा, अमहिया, समान एवं यातायात	<p>1. पुलिस थाना चोरहटा, थाना अमहिया, समान एवं थाना यातायात के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्रों एवं धारा 138 एन0 आई0 एवट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. मुख्यालय रीवा क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रकरण।</p> <p>3. रीवा जिला मुख्यालय में आबकारी वृत्त द्वारा म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण प्रकरण।</p> <p>4. संपूर्ण रीवा जिला की सीमाओं में म0प्र0 म0प्र0 आबकारी अधिनियम के 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के संपूर्ण प्रकरण।</p> <p>5. रीवा राजस्व जिले के सभी आरक्षी केन्द्रों एवं परिवहन विभाग से उद्भूत मोटर यान अधिभोग के <u>ओढ़रलोड के प्रकरण</u></p> <p>6. मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम एवं पदस्थापना अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण नगर निगम की सीमाओं के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण।</p> <p>7. थाना चोरहटा, अमहिया एवं समान के अंतर्गत उद्भूत वन विभाग द्वारा प्रस्तुत दांडिक</p>

(2)

			<p>प्रकरण, खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, अम विभाग, नापतील विभाग, से प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>8. तेजाब (एसिड) से कारित किए जाने वाले संपूर्ण शीवा जिले की सीमाओं के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।</p> <p>9. मेन्टल हेल्थ एकट 2017 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>10. अन्य ऐसे सभी प्रकरण जिनका स्पष्ट उल्लेख इस कार्य विभाजन में नहीं है।</p>
02	श्रीमती नीलिमा देवदत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं प्रिसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड शीवा	—	<p>1. किशोर न्याय बोर्ड शीवा के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण व कार्य।</p> <p>2. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
03	श्री देव दत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शीवा	विधिया,	<p>1. पुलिस थाना विठ्ठिया के क्षेत्राधिकारिता वाले थाना क्षेत्र अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, म0प्र0 आबकारी अधिनियम से उद्भूत 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एकट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना विठ्ठिया के अंतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0स0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना विठ्ठिया एवं समान के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में नॉकॉटिक छग्स एवं साईकोट्रोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>4. थाना विठ्ठिया के अंतर्गत उद्भूत बन विभाग द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, अम विभाग, नापतील विभाग, से प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>

(3)

04	श्री पन्ना नागेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	थाना सिविल लाईन एवं जी0आर0पी0	<p>1. पुलिस थाना सिविल लाईन एवं जी0आर0पी0 के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, म0प्र0 आबकारी अधिनियम से उद्भूत 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एकट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना सिविल लाईन एवं जी0आर0पी0 के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0स0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना सिविल लाईन एवं जी0आर0पी0 के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>4. पुलिस थाना विश्वविद्यालय, चोरहटा एवं अमहिया के थाना क्षेत्र अंतर्गत उद्भूत धारा 138 एन0 आई0 एकट एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एकट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया।</p> <p>5. थाना सिविल लाईन के अंतर्गत उद्भूत वन विभाग द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, श्रम विभाग, नापतौल विभाग, से प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>6. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
05	श्री अक्षत तथाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	—	<p>1. पुलिस थाना सिटी कोटवाली, बिठिया, गोविंदगढ़ एवं समान के थाना क्षेत्र अंतर्गत उद्भूत धारा 138 एन0 आई0 एकट एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एकट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया।</p> <p>2. पुलिस थाना चोरहटा के क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0स0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना चोरहटा के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में</p>

(4)

			नॉर्कोटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।
			4. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाँड़िक प्रकरण।
06	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय राजस्व तहसील रीवा	राजस्व तहसील रीवा	—
07	श्री ललित कुमार मईड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	सगरा एवं गोविन्दगढ़	<p>1. पुलिस थाना सगरा एवं गोविन्दगढ़ के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, म0प्र0 आबकारी अधिनियम से उद्भूत 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एक्ट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना सगरा एवं गोविन्दगढ़ अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना सगरा एवं गोविन्दगढ़ के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पीएस0 एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>4. थाना सगरा एवं गोविन्दगढ़ के अंतर्गत उद्भूत वन विभाग द्वारा प्रस्तुत दाँड़िक प्रकरण, खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, अम विभाग, नापतील विभाग, से प्रस्तुत समस्त दाँड़िक प्रकरण।</p> <p>5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाँड़िक प्रकरण।</p>
08	सुश्री अंजली अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	सिटी कोतवाली, अमहिया, गोविन्दगढ़, गुड़, रायपुर कर्चुलियान, विश्वविद्यालय	<p>1. पुलिस थाना सिटी कोतवाली, अमहिया, गोविन्दगढ़, गुड़, रायपुर कर्चुलियान, विश्वविद्यालय अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों वाले समस्त प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण एवं महिलाओं से संबंधित धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के</p>

(5)

			अंतर्गत भरण पोषण के प्रकरण (परिवार न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर।) 2. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांपिङ्क प्रकरण।
09	श्री अमित सिंह धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	विश्वविद्यालय	<p>1. पुलिस थाना विश्वविद्यालय के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, म0प्र0 आबकारी अधिनियम से उद्भूत 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एकट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना विश्वविद्यालय अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0स0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना विश्वविद्यालय के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में नॉकॉटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>4. थाना विश्वविद्यालय के अंतर्गत उद्भूत वन विभाग द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, अम विभाग, नापतील विभाग, से प्रस्तुत समस्त दांपिङ्क प्रकरण।</p> <p>5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांपिङ्क प्रकरण।</p>
10	सुश्री अदिति अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	-	<p>1. पुलिस थाना रायुपर कर्चुलियान, गुड, सगरा एवं सिविल लाईन के थाना क्षेत्र अन्तर्गत उद्भूत धारा 138 एन0 आई0 एकट एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एकट 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं उनकी अनुशंगिक कार्यवाहिया।</p> <p>2. पुलिस थाना अमहिया के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में नॉकॉटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p>

(6)

			3. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।
11	सुश्री स्वाति रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	महिला थाना, थाना सिविल लाइन, चोरहटा, समान, बिछिया, सगरा,	<p>1. पुलिस थाना महिला जिला रीवा के थाना क्षेत्र अंतर्गत उद्भूत क्षेत्राधिकार वाले दांडिक प्रकरण। (धारा 138 एन0 आई0 एकट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना महिला, सिविल लाइन, चोरहटा, समान, बिछिया, सगरा अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों वाले समस्त प्रकरण एवं परिवाद प्रकरण एवं महिलाओं से संबंधित धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र, दारेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया सहिता के अध्याय 9 के अंतर्गत भरण पोषण के प्रकरण (परिवार न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर।)</p> <p>3. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
12	सुश्री चेतना झारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	सिटी कोतवाली	<p>1. पुलिस थाना सिटी कोतवाली के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, म0प्र0 आबकारी अधिनियम से उद्भूत 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एकट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना समान, अमहिया व चोरहटा से उद्भूत प्रकरणों में पारित निर्णय व आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से प्राप्त आपराधिक रिकॉर्ड या प्राप्त आदेश जिनमें अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन/निष्पादन संबंधी कार्यवही संपादित की जावेगी।</p> <p>3. पुलिस थाना सिटी कोतवाली एवं अमहिया के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र।</p> <p>4. पुलिस थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में</p>

(7)

			<p>नॉकर्टिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>5. थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत उद्भूत बन विभाग द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, श्रम विभाग, नापतील विभाग, से प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>6. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
13	श्री दिलीप महोर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	मनगवां	<p>1. पुलिस थाना मनगवां के थाना क्षेत्र अंतर्गत उद्भूत क्षेत्राधिकारिता वाले दांडिक प्रकरण। (म0प्र0 आबकारी अधिनियम से उद्भूत 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना मनगवां अंतर्गत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0स0 के आवेदन पत्र एवं धारा 138 एन आई एकट के परिवाद पत्र एवं पेमेंट एवं सेटेलमेंट एकट 2007 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं उनकी अनुशासिक कार्यवाहियाँ।</p> <p>3. थाना मनगवां अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत आपराधिक प्रकरण एवं दांडिक परिवाद प्रकरण व घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि0 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र।</p> <p>4. थाना मनगवां अंतर्गत धारा 125, 126, 127 दण्ड प्रक्रिया संहित के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं अनुशासिक कार्यवाहियाँ (परिवार न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)।</p> <p>5. पुलिस थाना मनगवां के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में नॉकर्टिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>6. थाना मनगवां के अंतर्गत उद्भूत बन विभाग द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, श्रम विभाग, नापतील विभाग, से प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण।</p>

(8)

			7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।
14	सुश्री रिचा भट्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	रायपुर कर्चुलियान	<p>1. पुलिस थाना रायपुर कर्चुलियान के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, म0प्र0 आबकारी अधिनियम से उद्भूत 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एकट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना रायपुर कर्चुलियान अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना रायपुर कर्चुलियान के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में नॉर्काटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>4. थाना रायपुर कर्चुलियान के अंतर्गत उद्भूत बन विभाग द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, अम विभाग, नापतील विभाग, से प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
15	सुश्री सृष्टि चौरसिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	गुड़	<p>1. पुलिस थाना गुड़ के अंतर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण। (महिलाओं के विरुद्ध उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, म0प्र0 आबकारी अधिनियम से उद्भूत 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरण एवं धारा 138 एन0 आई0 एकट के प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>2. पुलिस थाना गुड़ के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना गुड़ के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में नॉर्काटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सबस्टेन्स</p>

(9)

			<p>नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>4. थाना गुड़ के अंतर्गत उद्भूत बन विभाग द्वारा प्रस्तुत दांडिक प्रकरण, खनिज विधियों संबंधी परिवाद पत्र, अम विभाग, नापतौल विभाग, से प्रस्तुत समस्त दांडिक प्रकरण।</p> <p>5. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
16	सुश्री पूर्वी राय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	—	<p>1. पुलिस थाना समान के अंतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>2. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
17	सुश्री कंचन सैनिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	—	<p>1. पुलिस थाना चोरहटा के अंतर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>2. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>

तहसील मरुगंज

1.	श्री साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	मरुगंज	<p>1. पुलिस थाना मरुगंज के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांडिक प्रकरण।</p> <p>2. थाना मरुगंज की सीमा अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3. थाना मरुगंज एवं आबकारी वृत्त मरुगंज के आबकारी अधिनियम अंतर्गत प्रकरण, परंतु 50 बल्क लीटर से अधिक वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>4. तहसील मरुगंज अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले बन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण।</p> <p>5. पुलिस थाना मरुगंज अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>6. तहसील मरुगंज के अंतर्गत बन विभाग के</p>
----	--	--------	---

(10)

		<p>द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>7. पुलिस थाना मऊगंज के क्षेत्राधिकार से संबंधित उद्भूत धारा 125, 126, 127 दंप्र. सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम—2005 से संबंधित दांड़िक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>8. पुलिस थाना मऊगंज अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>9. पुलिस थाना मऊगंज के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्काटिक छान्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांड़िक प्रकरण।</p>
2.	श्री आनन्द बागरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	<p>थाना नईगढ़ी</p> <p>1. पुलिस थाना नईगढ़ी के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत दांड़िक प्रकरण।</p> <p>2. थाना थाना नईगढ़ी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेट एण्ड सेटेलमेट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3. पुलिस थाना नईगढ़ी अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दंप्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम—2005 से संबंधित दांड़िक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>4. पुलिस थाना नईगढ़ी अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p>

(11)

			<p>5. थाना नईगढ़ी से प्रस्तुत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण परंतु 50 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>6. पुलिस थाना नईगढ़ी के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉकॉटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>7. पुलिस थाना नईगढ़ी अंतर्गत मापतील अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>8. तहसील मरुंगज के समस्त रिक्त न्यायालयों के कार्य।</p> <p>9. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाँड़िक प्रकरण।</p>
3.	श्रीमती गीता उझके न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	थाना लौर	<p>1. पुलिस थाना लौर के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण।</p> <p>2. थाना थाना लौर की सीमा अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन०आई० एकट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3. पुलिस थाना लौर अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दंप्रसं एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 से संबंधित दाँड़िक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>4. पुलिस थाना लौर अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०स० के आवेदन पत्र।</p> <p>5. पुलिस थाना लौर से प्रस्तुत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण परंतु 50 बल्क लीटर</p>

(12)

		<p>से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर</p> <p>6. पुलिस थाना लौर के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>7. पुलिस थाना लौर अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>8. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांष्डिक प्रकरण।</p>
4.	सुश्री ओशी जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	<p>थाना गढ़ मऊगंज तहसील की सीमा से संबंधित</p> <p>1. पुलिस थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) के थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांष्डिक प्रकरण।</p> <p>2. थाना थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) की सीमा अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन०आई० एक्ट एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3. पुलिस थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) की क्षेत्र सीमा से उत्पन्न धारा 125, 126, 127 दं.प्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 से संबंधित दांष्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>4. पुलिस थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>5. पुलिस थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p>

(13)

		<p>6. पुलिस थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नौकाँटिक छम्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>7. पुलिस थाना गढ़ (मऊगंज तहसील के क्षेत्राधिकार से संबंधित) प्रस्तुत आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण परंतु 50 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>8. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांपिडक प्रकरण।</p>
--	--	--

तहसील सिरमौर

1.	श्रीमती नेहा रहमान न्यायिक भौजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर	बैकुण्ठपुर	<p>1. पुलिस थाना बैकुण्ठपुर थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दांपिडक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस थाना बैकुण्ठपुर के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. थाना बैकुण्ठपुर के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस बैकुण्ठपुर के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 द०प्र०सं० एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दांपिडक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>5. तहसील सिरमौर के समस्त रिक्त न्यायालयों के कार्य एवं अनुशासिक कार्यवाहियां।</p> <p>6. पुलिस थाना बैकुण्ठपुर के अंतर्गत</p>
----	---	------------	--

(14)

		<p>उद्भूत एनोडी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉकॉटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>7. पुलिस थाना बैकुण्ठपुर के अंतर्गत उद्भूत मापतील अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>8. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाँड़िक प्रकरण।</p>
2.	श्री अल्पमंश रहमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर	सिरमौर <ul style="list-style-type: none"> 1. पुलिस थाना सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर। 2. पुलिस थाना सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र। 3. थाना सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण। 4. आबकारी वृत्त सिरमौर के आबकारी अधिनियम अंतर्गत प्रकरण, परंतु 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर। 5. तहसील सिरमौर अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले वन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण। 6. तहसील सिरमौर के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण। 7. पुलिस थाना सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दंप्र.सं.

(15)

		<p>एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दार्पणक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>8. पुलिस थाना सिरमौर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक ड्रग्स एवं साईकोड्रोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम ०८ व ०९ के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>9. पुलिस थाना सिरमौर अंतर्गत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दार्पणक प्रकरण।</p>
3.	श्रीमती भारती केशरी कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर	<p>गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दार्पणक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में ५० बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस थाना गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा १५६(३) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. थाना गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा १३८ एन० आई० एकट एवं पैमैंट एण्ड सेटलमेंट एकट २००७ से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस थाना गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित थाना के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा १२५, १२६, १२७ दंप्र०सं एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दार्पणक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को</p>

(16)

			छोड़कर)
			<p>5. पुलिस थाना गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉकॉटिक छग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>6. पुलिस थाना गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतील अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाँड़िक प्रकरण।</p>
4.	श्री अमित कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिरमौर	सेमरिया	<p>1. पुलिस सेमरिया थाना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस थाना सेमरिया के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. पुलिस थाना सेमरिया के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पैमेंट एण्ड सेटलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस सेमरिया के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 द०प्र०सं० एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006 से उत्पन्न दाँड़िक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>5. पुलिस थाना सेमरिया के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉकॉटिक छग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p>

(17)

			<p>6. पुलिस थाना सेमरिया क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दार्पणिक प्रकरण।</p>
--	--	--	--

तहसील त्योथर

1.	सुश्री वंदना सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, त्योथर	सोहागी, चाकघाट, जनेह	<p>1. पुलिस थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट थाना के क्षेत्राधिकार अंतर्गत उद्भूत दार्पणिक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट के क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. थाना जनेह, सोहागी, एवं चाकघाट के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेंट एण्ड सेटेलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. आबकारी वृत्त त्योथर/चाकघाट के आबकारी अधिनियम अंतर्गत उद्भूत प्रकरण, परंतु 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>5. तहसील त्योथर अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले बन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण।</p> <p>6. तहसील त्योथर के अंतर्गत बन विभाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण।</p> <p>7. पुलिस थाना जनेह, सोहागी एवं चाकघाट के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दंप्र०सं० एवं ईरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दार्पणिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य।</p>
----	---	----------------------------	---

(18)

		<p>प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>8. पुलिस थाना जनेह, सोहागी एवं चाकधाट के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>9. पुलिस थाना जनेह, सोहागी एवं चाकधाट क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतील अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाँड़िक प्रकरण।</p>
2.	सुश्री निघू श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, त्योंधर	<p>पनवार, अतरैला</p> <p>1. पुलिस थाना पनवार एवं अतरैला के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस थाना पनवार एवं अतरैला के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. थाना पनवार एवं अतरैला के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस थाना पनवार एवं अतरैला के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दंप्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाँड़िक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>5. पुलिस थाना पनवार एवं अतरैला के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p>

(19)

			<p>6. पुलिस थाना पनवार एवं अतरैला क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाण्डिक प्रकरण।</p>
3.	श्रीमती मोहिनी भद्रीरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्वयोधर	थाना डमौरा एवं जवा	<p>1. पुलिस थाना डमौरा एवं जवा के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाण्डिक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस थाना डमौरा एवं जवा अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. थाना डमौरा एवं जवा के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पेमेट एण्ड सेटेलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस थाना डमौरा एवं जवा के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दंप्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाण्डिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>5. पुलिस थाना डमौरा एवं जवा के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्कॉटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सबस्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>6. पुलिस थाना डमौरा एवं जवा के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाण्डिक प्रकरण।</p>

(20)

<p>4. श्री आशुतोष प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी त्योथर</p>	<p>गढ़ तहसील त्योथर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं-</p>	<p>1. पुलिस थाना गढ़ थाना के तहसील त्योथर के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा वाले प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. पुलिस थाना गढ़ थाना के तहसील त्योथर के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र।</p> <p>3. थाना गढ़ थाना के तहसील त्योथर के क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाले धारा 138 एन० आई० एकट एवं पैमेंट एण्ड सेटेलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>4. पुलिस थाना गढ़ थाना के तहसील त्योथर के क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध वाले समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 द०प्र०सं० एवं दैरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाँड़िक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>5. पुलिस थाना गढ़ के तहसील त्योथर के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत एन०डी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्कोटिक छग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्स्टेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>6. पुलिस थाना गढ़ के तहसील त्योथर के क्षेत्र के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाँड़िक प्रकरण।</p>
<p>तहसील हनुमना</p>		
<p>1. श्री विनोद कुमार चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी</p>	<p>हनुमना</p>	<p>1. पुलिस थाना हनुमना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरणों को छोड़कर।</p>

<p>1. श्री विनोद कुमार चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी</p>	<p>हनुमना</p>	<p>1. पुलिस थाना हनुमना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण। परंतु आबकारी अधिनियम के 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरणों को छोड़कर।</p>
---	----------------------	---

(21)

			<p>2. थाना हनुमना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत धारा 138 एनो आई० एकट एवं पेमेंट एप्ड सेटेलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण ।</p> <p>3. पुलिस थाना हनुमना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 द०प्र०सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दाँड़िक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>4. पुलिस थाना हनुमना के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द०प्र०सं० के आवेदन पत्र ।</p> <p>5. तहसील हनुमना के समस्त रिक्त न्यायालयों के कार्य एवं अनुशासिक कार्यवाहियां ।</p> <p>6. पुलिस थाना हनुमना के अंतर्गत उद्भूत एनोडी०पी०एस० एकट के प्रकरणों में नॉर्कॉटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे ।</p> <p>7. पुलिस थाना हनुमना के अंतर्गत उद्भूत मापतौल अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>8. तहसील हनुमना अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले वन विधियों संबंधी समस्त प्रकरण एवं खनिज विधियों संबंधी समस्त प्रकरण ।</p> <p>9. तहसील हनुमना के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा प्रस्तुत किये गये क्षेत्राधिकार वाले समस्त प्रकरण ।</p> <p>10. अंतरण पर प्राप्त समस्त दाँड़िक प्रकरण ।</p>
2.	श्रीमती कीर्ति दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट	शाहपुर	<p>1. पुलिस थाना शाहपुर के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत दाँड़िक प्रकरण । परंतु आबकारी</p>

<p>प्रथम श्रेणी, हनुमना</p>	<p>अधिनियम के 50 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरणों को छोड़कर।</p> <p>2. थाना शाहपुर की सीमा के अंतर्गत क्षेत्राधिकारिता वाले धारा 138 एन0 आई0 एकट एवं पेमेंट एण्ड सेटलमेंट एकट 2007 से संबंधित प्रकरण।</p> <p>3. पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्राधिकार अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध कारित समस्त प्रकरण एवं समस्त परिवाद प्रकरण तथा धारा 125, 126, 127 दं.प्र.सं. एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से उत्पन्न दांडिक प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर)</p> <p>4. पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उद्भूत परिवाद प्रकरण एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 के आवेदन पत्र।</p> <p>5. पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत उद्भूत एन0डी0पी0एस0 एकट के प्रकरणों में नॉर्काइटिक डग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्स नियम 2022 के नियम 08 व 09 के तहत कार्यवाही संपन्न करेंगे।</p> <p>6. पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत उद्भूत मापतील अधिनियम, खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006,</p> <p>7. अंतरण पर प्राप्त समस्त दांडिक प्रकरण।</p>
-----------------------------	--

आवश्यक निर्देश :-

- इस कार्य विभाजन आदेश से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना के द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।
- आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य पुलिस रिमाण्ड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य, धारा 436 एवं धारा 437 दं.प्र.सं. के तहत जमानत आवेदन एवं धारा 451, 457 दं.प्र.सं के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होंगे, जिनमें

अभियुक्त दोषसिद्ध का अभिवाक् करता है, तो जो मजिस्ट्रेट समरी पावर से सशक्त है, वह ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।

3. समस्त जे.एम.एफ.सी यदि धारा 167(2) द.प्र.सं के तहत पुलिस रिमाण्ड स्वीकार करते हैं, तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा की ओर आवश्यक रूप से भेजी जावे।

4. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकार्ड या आदेश प्राप्त होने पर, जो रिक्त न्यायालय से संबंधित हैं, उनमें माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उन मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी, जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है, जिससे वह मामला उद्भूत हुआ या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है।

5. ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट या समर्पण संबंधी आवेदन का निराकरण उन्हीं मजिस्ट्रेटों के द्वारा किया जायेगा जिनके समक्ष उक्त गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण लबित है तथा यदि प्रकरण अभिलेखागार में है, तब ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जावेगा, जिनको संबंधित थाने (जिस थाना क्षेत्र का मामला है) का क्षेत्राधिकार आवंटित है। धारा 138 एन.आई.ए एकट से संबंधित गिरफ्तारी वारंट उनके विशेष न्यायालय के समक्ष ही थाना क्षेत्र के हिसाब से अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे। यदि रक्ताई गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला न्यायालय अस्तित्व में है तब उससे संबंधित कार्यवाही उसी न्यायालय द्वारा की जायेगी।

6. रिक्त न्यायालय की अपील, पुनरीक्षण, रिवीजन आदेश के परिपालन में निष्पादन योग्य कार्यवाही, दस्तावेज से जमानत निरस्त संबंधित कार्यवाही जिसमें थाना स्पष्ट नहीं हो रहा हो के संबंध में रीवा न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रथमतः सुन्नी कंचन सैनिक तत्पश्चात द्वितीयतः सुन्नी रिवा भट्ट द्वारा संपादित की जावेगी।

7. आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुरुदगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा डाईविंग लाईसेंस परमिट या अन्य दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रतियां सुरुदगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर उक्त मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावे।

8. मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1986 की धारा 16 (1) व (2) के प्रावृद्धानानुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जावेगे। ग्राम न्यायालय संबंधित आपराधिक प्रकरण न्यायिक अधिकारी ग्राम न्यायालय रीवा/सिरमौर के द्वारा ही लिया जावेगा।

9. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्हें समरी पावर प्राप्त है वह अपने संबंधित आरक्षी केन्द्रों की सीमा क्षेत्रों में चलित न्यायालय लगा सकेंगे। जिसकी पूर्व सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

रीवा को प्रेषित करेंगे। उक्त चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणों हेतु लगाई जावे तथा उक्त चलित न्यायालयों को इस प्रकार लगाया जावे, जिससे कि न्यायालय के नियमित संपादन का कार्य प्रभावित न हो।

10. लंबित रिमाण्ड पैपर्स से संबंधित अभियोग—पत्र उन्हीं न्यायालय में पेश किये जायेंगे, जिनके पास उपरोक्त कार्यविभाजन पत्रक से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकारी दिया गया है, जब तक अलग से आदेश न हो तथा ऐसे रिमाण्ड पैपर्स संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेंगे।

11. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे। प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी दूरभाष आदि के माध्यम से देकर तथा आवश्यक होने पर ई—मेल फैक्स आदि से आवेदन प्रेषित करेंगे।

12. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत विशेष प्रकरण इस कार्य विभाजन पत्रक से प्रभावित नहीं रहेंगे।

13. धारा 340 दप्रसं के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रीवा के समस्त परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

14. इस कार्य विभाजन पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों में परिवाद, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नहीं पड़ेगा जो संबंधित न्यायालय में पूर्व से लंबित हैं तथा जिनका निशाकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम हैं।

15. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा जिले में किसी भी आरक्षी केन्द्र अथवा अन्य किसी विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग पत्रों व परिवाद पत्रों का संज्ञान करने में सक्षम होंगे।

16. किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश के दौरान उनके न्यायालय के अंडर द्वायल अथवा 05 वर्ष अथवा अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित अनुसंधानकर्ता अधिकारी/चिकित्सक साक्षी या वृद्ध असमर्थ ऐसे साक्षी या वृद्ध, बीमार या व्ययकारी या असुविधाजनक होने की स्थिति अत्याधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश न मिलने या अत्यंत कष्टकारी व्ययकारी या असुविधाजनक की स्थिति में ऐसे साक्षियों का साक्ष्य जिनकी पुनः उपस्थिति कठिन है, का साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित की जावेगी तथा ऐसे प्रकरण केवल उक्त कार्य हेतु इंचार्ज मजिस्ट्रेट को विधिवत अंतरित किये गये समझे जायेंगे।

17. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश की दशा में रिमाण्ड डयूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेंगे।

18. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी पृष्ठांकन क्रमांक डी-2495 जबलपुर दिनांक 10.04.2019 के अनुसार न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध आरोपियों के संबंध में साक्ष्य/आरोप पत्र विरचना/आरोपी कथन से संबंधित

कार्यवाही अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर वीडियो कॉफेसिंग के माध्यम से करावे।

19. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 (1-क) के अंतर्गत केन्द्रीय कारागार रीवा से व आरक्षी केन्द्र से संबंधित मृतक बंदियों की मृत्यु के कारण की जांच उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी जिसको अनुलग्न सूची स अनुसार मासिक प्रभार दिया गया है, ऐसे मजिस्ट्रेट के अवकाश पर या मुख्यालय से बाहर होने की दशा में अनुलग्न—अ अनुसार प्रभारी मजिस्ट्रेट जांच कार्यवाही करेंगे।

20. धारा 176 (1-क) द.प्र.सं के अंतर्गत मृतक बंदियों की न्यायिक जांच के संबंध में अनुरोध पत्र केन्द्रीय कारागार रीवा से व संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अपने अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र के संबंध में विधिवत कार्यवाही अविलंब संपादित करेंगे। इस संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा से पृथक से कोई आदेश प्रसारित नहीं किया जावेगा।

21. रिमाण्ड, डयूटी, व्ही.सी धारा 164 द.प्र.सं के कथन एवं धारा 176 (1-क) द.प्र.सं के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि किसी कारणवश अवकाश पर रहते हैं या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में उनके स्थान पर आये नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में प्रभार अनुलग्न—अ के अनुसार रहेगा एवं विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेंगे।

22. तहसील न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने—अपने आरक्षी केन्द्रों के धारा 176 द.प्र.सं के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में मृत बंदियों की न्यायिक जांच संपादित करेंगे।

23. विशिष्ट क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर अपने दूर पर प्रस्थान करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण उन्हीं तिथियों पर नियत किये जावे जिनमें मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर हों।

24. अनुलग्न क्रमांक अ, ब एवं स कार्य विभाजन पत्रक के ही अंग होगे।

25. सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने—अपने न्यायालय के अंतर्गत थाने से उद्भूत खात्मा से संबंधित मामलों में सुनवाई करेंगे।

26. किसी भी आरक्षी केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पूरक चालान उसी न्यायालय में पेश किए जाएंगे जिस न्यायालय में मूल अभियोगपत्र पेश किया गया अथवा विचाराधीन है, चाहे पूरक चालान पेश करते समय उस न्यायालय का उस थाने पर क्षेत्राधिकार नहीं हो।

27. इस आदेश के निर्वहन तथा किसी भ्रम की स्थिति में मार्गदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रीवा को संदर्भित किया जावेगा।

(26)

रीवा, दिनांक २३.५.२०२४


 (रुप सिंह कनेल)
 मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रोट
 मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रोट
 रीवा (मध्य)

अनुमोदित

(सुबोध कुमार जैन)
 प्रधान विकास एवं सज्ज न्यायाधीश
 रीवा (मध्य)

"अनुलग्न-अ"

श्री रुप सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मणिस्ट्रोट रीवा	श्री देव दत्त जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री ललित कुमार मईडा, जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्रीमती नीलिमा देवदत्त, प्रधान न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड रीवा	श्री अक्षत तयाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री देव दत्त जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री देवदत्त जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री कंचन सैनिक, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री स्वाति रघुवंशी जे.एम.एफ.सी. रीवा
सुश्री सृष्टि चौरसिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्रीमती चेतना झारिया जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री रिचा भट्ट, जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री अदिति अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अक्षत तयाल जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री दिलीप महोर, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अमित सिंह धुर्वे, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री सृष्टि चौरसिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री अक्षत तयाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री चेतना झारिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा
सुश्री स्वाति रघुवंशी जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री अंजली अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री कंचन सैनिक, जे.एम.एफ.सी. रीवा
सुश्री चेतना झारिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री सृष्टि चौरसिया जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री अदिति अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा
सुश्री अंजली अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री स्वाति रघुवंशी जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री देव दत्त जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री ललित कुमार मईडा जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री दिलीप महोर, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री पूर्वी राय, जे.एम.एफ.सी. रीवा
सुश्री अदिति अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अक्षत तयाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी. रीवा
श्री अमित सिंह धुर्वे,	श्री ललित कुमार मईडा,	श्री दिलीप महोर,

(27)

जे.एम.एस.सी. रीवा	जे.एम.एफ.सी. रीवा	जे.एम.एफ.सी. रीवा
सुश्री पूर्वी राय, जे.एम.एस.सी. रीवा	सुश्री रिचा भट्ट जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अमित सिंह धुर्वे, जे.एम.एस.सी. रीवा
सुश्री रिचा भट्ट, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री पूर्वी राय, जे.एम.एस.सी. रीवा	श्री ललित कुमार मईडा, जे.एम.एफ.सी. रीवा
सुश्री कंचन सैनिक जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री देव दत्त जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री अंजली अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. रीवा

तहसील मऊगंज

श्री साजिद मोहम्मद जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्रीमती गीता उइके, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री आनन्द बागरी, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
श्री आनन्द बागरी, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री साजिद मोहम्मद जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
श्रीमती गीता उइके, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री आनन्द बागरी, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री साजिद मोहम्मद जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्रीमती गीता उइके, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज

तहसील सिरमौर

श्रीमती नेहा रहमान जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्रीमती भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री अल्तमश रहमान जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
श्री अल्तमश रहमान जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री अमित कुमार शर्मा जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्रीमती नेहा रहमान जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
श्रीमती भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री अल्तमश रहमान जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री अमित कुमार शर्मा जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
श्री अमित कुमार शर्मा जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्रीमती नेहा रहमान जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्रीमती भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर

तहसील त्योथर

सुश्री वंदना सोनी, जे.एम.एफ.सी.त्योथर,	सुश्री निधू श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी.त्योथर	श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी.त्योथर,
सुश्री निधू श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी.त्योथर,	सुश्री मोहिनी भदौरिया,	सुश्री वंदना सोनी

जे.एम.एफ.सी.त्योथर	जे.एम.एफ.सी.त्योथर,	जे.एम.एफ.सी.त्योथर
सुश्री मोहिनी भदौरिया, जे.एम.एफ.सी.त्योथर,	श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी.त्योथर	सुश्री निधू श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी.त्योथर
श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी.त्योथर	सुश्री वंदना सोनी जे.एम.एफ.सी.त्योथर	सुश्री मोहिनी भदौरिया, जे.एम.एफ.सी.त्योथर,
प्रहसील हनुमना		
श्री विनोद कुमार चौधरी, जे.एम.एफ.सी. हनुमना	श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी. हनुमना	श्री आनन्द बागरी, जे.एम.एफ.सी. मठगंज
श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम.एफ.सी. हनुमना	श्री विनोद कुमार चौधरी, जे.एम.एफ.सी. हनुमना	सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मठगंज

नोट:- न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश अथवा अनुपस्थित रहने की दशा में उनकी अनुपस्थिति में “अनुलग्न-अ” के अनुसार कॉलम क्रमांक 2 अथवा 3 में दर्शाये मजिस्ट्रेट द्वारा उनके न्यायालय का आवश्यक कार्य संपादित किया जायेगा तथा कॉलम क्र0-02 व कॉलम क्र0-03 में दर्शाये मजिस्ट्रेट भी अनुपस्थित रहते हैं तो वहां पर उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य को संपादित करेंगे। यहां यह उल्लेख किया जाता है कि ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी द्वारा ग्राम न्यायालय का कार्य संपादित करने के दिनांक को उनका कार्यभार देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं तो ग्राम न्यायाधिकारी अपने नियमित न्यायालय का कार्य भी संपादित कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रधान न्यायाधीश किशोर न्यायबोर्ड एवं बोर्ड के सदस्यगण तीनों की एक साथ अनुपस्थिति में ही कॉलम नं0-02 एवं 03 अनुसार श्री अक्षत तयाल जे0एम0एफ0सी0 रीवा एवं श्री देव दत्त, जे.एम.एफ.सी. रीवा द्वारा कार्य को संपादित किया जायेगा।

अनुलग्न “ब”
(धारा 164 द.प्र.स. से संबंधित आवेदन)

क	आरक्षी केन्द्र	स्तम्भ क्रमांक-1	स्तम्भ क्रमांक-2
1	सिविल लाईन एवं सगरा	सुश्री कंचन सैनिक, जे0एम0एफ0सी0 रीवा	श्री देव दत्त जे.एम.एफ.सी. रीवा
2	बिछिया	श्री ललित कुमार मईड़ा जे0एम0एफ0सी0 रीवा	श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी. रीवा
3	चोरहटा	सुश्री सृष्टि चौरसिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री ललित कुमार मईड़ा जे0एम0एफ0सी0 रीवा
4	अमहिया	श्री देव दत्त	सुश्री सृष्टि चौरसिया,

(29)

		जे.एम.एफ.सी. रीवा	जे.एम.एफ.सी. रीवा
5	समान	सुश्री रिचा भट्ट जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री कंचन सैनिक, जे.एम.एफ.सी.००१० रीवा
6	मनगवां	श्री अक्षत तयाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री अदिति अग्रवाल जे.एम.एफ.सी.रीवा
7	गोविन्दगढ़	सुश्री चेतना झारिया जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अक्षत तयाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा
8	जी०आर०पी०	श्री अमित सिंह धुर्वे जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री सृष्टि चौरसिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा
9	हरिजन कल्याण, सिटी कोतवाली एवं गुड़	श्री पन्ना नागेश, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री दिलीप महोर, जे.एम.एफ.सी.रीवा
10	विश्वविद्यालय	सुश्री अदिती अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	श्री अमित सिंह धुर्वे जे.एम.एफ.सी. रीवा
11	महिला थाना, थाना सिविल लाइन, चोरहटा, समान, बिछिया, सगरा के महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित विशेष न्यायालय (पॉक्सो) प्रकरण सहित	सुश्री अंजली अग्रवाल, जे.एम.एफ.सी. रीवा	सुश्री कंचन सैनिक, जे.एम.एस.सी. रीवा
12	सिटी कोतवाली, अमहिया, गोविन्दगढ़, गुड़, रायपुर कर्चुलियान, विश्वविद्या लय के महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित विशेष न्यायालय (पॉक्सो) प्रकरण सहित	सुश्री स्वाति रघुवंशी, जे.एम.एफ.सी.रीवा	श्री ललित कुमार मईड़ा, जे.एम.एफ.००१० रीवा
13	रायपुर कर्चुलियान	श्री दिलीप महोर, जे.एम.एफ.सी.रीवा	सुश्री चेतना झारिया जे.एम.एफ.सी. रीवा

14	गढ़ तहसील सिरमौर की सीमा क्षेत्र से संबंधित	श्री अल्लामश रहमान, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
15	सिरमौर	सुश्री भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्रीमती नेहा रहमान, जे.एम.एफ.सी.सिरमौर
16	बैकुण्ठपुर,	श्री अमित कुमार शर्मा, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर	श्री अल्लामश रहमान, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
17	सेमरिया	श्रीमती नेहा रहमान, जे.एम.एफ.सी.सिरमौर	सुश्री भारती केशरी कश्यप, जे.एम.एफ.सी. सिरमौर
18	सोहागी, चाकघाट एवं जनेह	सुश्री मोहिनी भदौरिया जे.एम. एफ.सी.त्योथर	सुश्री निधू श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी त्योथर
19	पनवार एवं अतरैला	सुश्री निधू श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी त्योथर	सुश्री वंदना सोनी जे.एम.एफ.सी त्योथर
20	गढ़ तहसील त्योथर की सीमा क्षेत्र से संबंधित	सुश्री वंदना सोनी जे.एम.एफ.सी त्योथर	श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी त्योथर
21	झभौरा एवं जवा	श्री आशुतोष प्रताप सिंह, जे.एम.एफ.सी त्योथर	सुश्री मोहिनी भदौरिया जे.एम. एफ.सी.त्योथर
21	गढ़ (तहसील मऊगंज की सीमा के अन्तर्गत)	श्री आनन्द बागरी जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्री साजिद मोहम्मद, जे.एम. एफ.सी मऊगंज
22	नईगढ़ी	श्रीमती गीता उर्झके जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
	मऊगंज	सुश्री ओशी जैन, जे.एम.एफ.सी. मऊगंज	श्रीमती गीता उर्झके जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
	लौर	श्री साजिद मोहम्मद, जे.एम. एफ.सी. मऊगंज	श्री आनन्द बागरी जे.एम.एफ.सी. मऊगंज
23	हनुमना	श्रीमती कीर्ति दुबे, जे.एम. एफ.सी हनुमना	सुश्री ओशी जैन, जे.एम. एफ.सी मऊगंज
24	शाहपुर	श्री विनोद कुमार चौधरी जे.एम. एफ.सी हनुमना	श्री आनन्द बागरी, जे.एम. एफ.सी मऊगंज

नोट-

- धारा 164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत लिए गए कथन की एक प्रति तत्काल संबंधित थाना से उपस्थित विवेचक को उपलब्ध कराई जाये।
- स्तम्भ क्रमांक 1 की अनुपस्थिति में स्तम्भ क्रमांक 2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेंगे एवं उनकी भी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कार्य सम्पादित करेंगे।

अनुलग्न "स"

(धारा 176 द.प्र.स. से संबंधित मृत्यु जांच के लिए)

क्र.	जांचकर्ता न्यायिक अधिकारी	माह
	श्री देव दत्त, जे.एम.एफ.सी. रीवा	अप्रैल-2024
	सुश्री पूर्वी राय, जे.एम.एफ.सी. रीवा	मई-2024
	सुश्री अंजली अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. रीवा	जून-2024
	सुश्री अदिति अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. रीवा	जुलाई-2024
	श्री सृष्टि चौरसिया, जे.एम.एफ.सी. रीवा	अगस्त-2024
	सुश्री चेतना झारिया जे.एम.एफ.सी. रीवा	सितम्बर-2024
	सुश्री रिचा भट्ठ जे.एम.एफ.सी. रीवा	अक्टूबर-2024
	श्री कंचन सैनिक, जे.एम.एफ.सी. रीवा	नवंबर-2024
	श्री ललित कुमार मईड़ा जे.एम.एफ.सी. रीवा	दिसंबर-2024

नोट- उपरोक्त की अनुपस्थिति में कार्यविभाजन आदेशानुसार कार्य संपादित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु जांच से संबंधित आवश्यक कार्यवाही संपादित की जायेगी।

अनुमोदित

रीवा, दिनांक— २३.५ - २०२४

(रूप सिंह कर्नल)
मुख्यमंत्री कार्मिक मजिस्ट्रेट,
पुष्टीलाला भिंडू, रीवा (म०प्र०)

(मुख्यमंत्री कुमार जैन)
प्रधान वित्त एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

पृ.क./ ३३ /स्टेनो/2024

रीवा दिनांक

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा को अनुमोदनार्थ एवं अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।—

1. माननीय प्रिसिपल रजिस्ट्रार महोदय (न्यायिक),

- माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.)
 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रीवा (म.प्र.)
 3. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश / ए.एस.जे. रीवा।
 4. श्री ए.सी.जे.एम. / जे.एम.एफ.सी. / जे.एम.एफ.सी. /
 5. रीवा / त्योथर / सिरमौर / मऊगंज / हनुमना / मनगढ़ा
 6. जिला दण्डाधिकारी रीवा।
 7. आयुक्त, नगरपालिक निगम रीवा।
 8. पुलिस अधीक्षक, रीवा (म.प्र.) की ओर से संबंधित थाना प्रभारियों को सूचित
 कराये जाने हेतु प्रेषित।
 9. डी.एफ.ओ.(जिला बन अधिकारी) रीवा।
 10. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रीवा।
 11. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, रीवा (म.प्र.)।
 12. जिला आबकारी अधिकारी, रीवा की ओर संबंधित आबकारी निरीक्षकों को
 सूचित कराने हेतु प्रेषित।
 13. जिला खाद्य अधिकारी, रीवा।
 14. निरीक्षक, नाप तील विभाग, रीवा।
 15. औषधि निरीक्षक, रीवा।
 16. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/त्योथर/सिरमौर/मऊगंज/हनुमना/मनगढ़ा
 जिला—रीवा।

(लाल सिंह कर्नल)
 महाप्रभारीकर्मचारीस्ट्रेट,
 रीवा (म.प्र.)